फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीपीसीएल/एफएफ-आईटीपी/मोपा-गोवा/सीपी-I/2023-28

आदेश संख्या 18/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा (जीओएक्स) में ईंधन फार्म अवसंरचना और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2028) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 25.09.2025

ऐरा कार्यालय
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

11. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

नीचे उल्लिखित सार में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण से संबंधित संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों को पुन: प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय 2: टैरिफ निर्धारण की कार्यप्रणाली

2.2.1 प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) से संबंधित ईंधन फार्म और आईटीपी सेवाओं के संबंध में टैरिफ के निर्धारण के लिए "लागत प्लस" विनियामक दृष्टिकोण अपनाना।

अध्याय 3: 05.01.2023 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण

3.23.1 तालिका 10 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

3.23.2 तालिका 13 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

3.23.3 तालिका 15 के अनुसार आरएबी को मानना।

3.23.4 तालिका 16 के अनुसार एफओआर को मानना।

3.23.5 तालिका 17 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को मानना।

3.23.6 तालिका 21 के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।

अध्याय 4: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन मात्रा (थ्रूपुट)

4.5.1 तालिका 23 के अनुसार, मोपा, गोवा हवाई अड्डे पर बीपीसीएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रूपुट पूर्वानुमान को मानना।

4.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक ईंधन थ्रूपुट के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में ईंधन थ्रूपुट को टूअप करना।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास और नियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.9.1 तालिका 28 के अनुसार आरएबी में पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

5.9.2 तालिका 34 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना।

5.9.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय, लागत दक्षता और वहन किए गए कैपेक्स की तर्कसंगतता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को टूअप करना।

5.9.4 तालिका 35 के अनुसार आरएबी और औसत आरएबी को मानना।

5.9.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों पर विचार करते हुए आरएबी और औसत आरएबी को टूअप करना।

अध्याय 6: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए उचित प्रतिलाभ दर (एफआरओआर)

6.5.1 तालिका 36 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

अध्याय 7: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय

7.5.1 तालिका 52 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को मानना।

7.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को ट्रूअप करना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

8.5.1 तालिका 55 के अनुसार मोपा, गोवा हवाई अड्डे के लिए बीपीसीएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।

8.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वैमानिक कर को ट्रूअप करना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

9.5.1 तालिका 60 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए बीपीसीएल के संबंध में एआरआर को मानना।

9.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर को ट्रूअप करना।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

10.5.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए बीपीसीएल, मोपा, गोवा के संबंध में वैमानिक सेवाओं (एफआईएफ और आईटीपी प्रभार) के लिए तालिका 65 के अनुसार टैरिफ दरों को मानना।

10.5.2 तालिका 66 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में बीपीसीएल के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

10.5.3 प्रथम नियंत्रण अवधि से संबंधित 39% एआरआर को द्वितीय नियंत्रण अवधि में आगे ले जाना।

10.5.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वैमानिक राजस्व को मानना।

12.आदेश

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा में बीपीसीएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ईंधन फार्म और इंटो प्लेन सेवाओं को 'गैर महत्वपूर्ण और अप्रतिस्पर्धी' माना गया है। तदनुसार, प्राधिकरण ने 'मूल्य सीमा दृष्टिकोण' के अंतर्गत मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा में बीपीसीएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित की है।

(ii) बीपीसीएल को अनुलग्नक-**I** के अनुसार 01.10.2025 से प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के संबंध में ईंधन फार्म और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से ली जाने वाली अधिकतम टैरिफ है। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में सभी लागू कर शामिल नहीं हैं।

(v) मैसर्स बीपीसीएल प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षित खातों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश के अनुसार बीपीसीएल, मोपा गोवा के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री सुजीत कुमार,
विपणन प्रबंधक (विमानन) मुख्यालय,
बीपीसीएल, विमानन व्यवसाय इकाई, 'ए' स्थापना, सेवरी फोर्ट रोड,
सेवरी (पूर्व), मुंबई – 400 015.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, 'बी ब्लॉक', सफदरजंग हवाईअड्डा नई दिल्ली-110003.
2. श्री आर.वी. शेषन, सीईओ, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा, प्रशासनिक ब्लॉक, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, तालुका पेरनेम, मोपा, उत्तरी गोवा- 403512.